राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–5111121, 5192253, 5192251, E-mail: aspdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः रा.मा.शि.प/जय/फा.–33301/2015–16/ 12795 दिनांकः 14/07/2015

शासन सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की 15वीं बैठक दिनांक 07.07.15 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की 15वीं बैठक दिनांक 07 जुलाई, 2015 का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज (राज.), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, महिला सशक्तिकरण, झालाना डूंगरी, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
11. निजी सहायक, निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
12. निजी सहायक, निदेशक संस्कृत शिक्षा, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निजी सहायक, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
15. निजी सहायक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
16. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
18. नियंत्रक वित्त, रामाशिप., जयपुर।
19. अधिशाषी अभियंता, रामाशिप., जयपुर।
20. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समस्त, रामाशिप., जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से सम्बन्धित अनुपालना सुनिश्चित करें।
21. एम.आई.एस. प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
22. कार्यालय प्रति।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

RCSE

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

निष्पादक समिति की 15वीं बैठक

कार्यवृत–विवरण

दिनांक–07 जुलाई, 2015

पढ़े चलो, बढ़े चलो

RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN

डॉ० एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302017, दूरभाष: 0141–5192255

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, 2700447 E-mail: spd.rcse@gmail.com

दिनांक 7 जुलाई 2015 को निष्पादक समिति की 15वीं बैठक में औपचारिक कार्यवाही से पूर्व उपस्थित सदस्यों के समक्ष शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में रामाशिप स्तर पर संचालित विविध गतिविधियों में पी.ए.बी. 2015–16 में स्वीकृति के विरूद्व अब तक की प्रगति की समीक्षा की गईः–

I.	आदर्श विद्यालय योजना	प्रस्तुतकर्ता	उपनिदेशक (प्रथम)
II.	एस.आई.क्यू.ई.	प्रस्तुतकर्ता	राज्य समन्वयक
III.	आई.सी.टी.	प्रस्तुतकर्ता	सहायक निदेशक (आई.सी.टी.)
IV.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल	प्रस्तुतकर्ता	उपनिदेशक (द्वितीय)
V.	व्यावसायिक शिक्षा	प्रस्तुतकर्ता	उपनिदेशक (तृतीय)
VI.	निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी)	प्रस्तुतकर्ता	उपनिदेशक (तृतीय)
VII.	आइ.ई.डी.एस.एस.	प्रस्तुतकर्ता	सहायक निदेशक (आई.ई.डी.एस.एस.)
VIII.	शारदे बालिका छात्रावास	प्रस्तुतकर्ता	सहायक निदेशक (बालिका छात्रावास)
IX.	विद्यालय वार्षिक अनुदान	प्रस्तुतकर्ता	उपनिदेशक (द्वितीय)
X.	अभियांत्रिकी शाखा	प्रस्तुतकर्ता	अधीक्षण अभियंता
XI.	स्कूल लीडरशिप कार्यक्रम	प्रस्तुतकर्ता	उपनिदेशक (द्वितीय)
XII.	प्रशिक्षण, क्वालिटी	प्रस्तुतकर्ता	उपनिदेशक (चतुर्थ)

प्रस्तुत प्रजेन्टेशन की प्रति संलग्न हैं।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 15वीं बैठक का कार्यवृत – दिनांक 07.07.2015

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
1	**प्रस्ताव संख्या–1** **निष्पादक समिति की दिनांकः– 12.03.2015 को आयोजित चौदहवीं बैठक में लिए गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अवलोकन एवं अनुमोदनः–** दिनांकः– 12.03.2015 को आयोजित निष्पादक समिति की चौदहवीं बैठक में लिए गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण (परिशिष्ट–1) में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
2	प्रस्ताव संख्या–2 **परिषद् के जिला कार्यालयों में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी जो 4800 ग्रेड़ पे एवं इससे अधिक ग्रेड़ पे आहरित कर रहे सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को टेलीफोन/मोबाईल व्यय का पुनर्भरण हेतुः–** परिषद् के जिला कार्यालयों में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी जो 4800 ग्रेड़ पे एवं इससे अधिक ग्रेड़ पे आहरित कर रहे सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को 700/– प्रतिमाह टेलीफोन/मोबाईल व्यय पुनर्भरण किया जाना प्रस्तावित है, सहायक लेखाधिकारी को रा.मा.शि.प. के अधीन कार्यरत मॉडल स्कूल, शारदे बालिका छात्रावास एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालयों से व्यय एवं लेखा संधारण प्रयोजनार्थ लगातार संपर्क करना पड़ता हैं। इन अधिकारियों को मोबाइल व्यय पुनर्भरण सुविधा उपलब्ध करवाने से समय पर व्यय एवं लेखा संधारण सुनिश्चित किया जा सकेगा, पुनर्भरण सुविधा Post Paid Bill प्रस्तुति पर ही देय होगी। रामाशिप की 11वीं E.C. की बैठक के प्रस्ताव संख्या 12 **संलग्न (परिशिष्ट–1)** के अनुसार सहायक निदेशक पद की न्यूनतम ग्रेड़ पे पाने वाले समकक्ष अधिकारी को 700/– प्रतिमाह टेलीफोन/मोबाइल बिल के पुनर्भरण का अनुमोदन ई.सी.की बैठक में सक्षम स्तर से किया गया हैं। सहायक लेखाधिकारियों को प्रतिमाह टेलीफोन व्यय का पुनर्भरण किये जाने पर राशि रू. 277200 /– (700x33x12) प्रतिवर्ष अधिभार होगा। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3	प्रस्ताव संख्या–3 **परिषद् के राज्य कार्यालय हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भवन शिक्षा संकुल जयपुर के द्वितीय एवं तृतीय तल पर परिषद् कार्यालय एवं आईसीटी स्टूडियों के उपयोग के लिए किराये पर लेने हेतु–** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य कार्यालय हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के राजीव गांधी भवन, शिक्षा संकुल, जयपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर परिषद् कार्यालय एवं आईसीटी स्टूडियो के उपयोग के लिए किराये पर भवन लिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसका अनुमानित वार्षिक किराया 465000 रू. (चार लाख पैसठ हजार रू.) होगा। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	दोनों कक्ष द्वितीय तल पर लेने का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
4	प्रस्ताव संख्या–4	

परिषद् के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए छः बचत बैंक खाते रखे जाकर अन्य खातों को बन्द किये जाने हेतुः–

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु विभिन्न बैंकों में 12 खाते खोले हुए थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी Manual on Financial Management and Procurement for RMSA के clause 4.3.1 **संलग्न (परिशिष्ट–3)** के अनुसार एक स्कीम का एक ही खाता खोला जाना हैं।
वर्तमान में निम्न खाते संचालित किये जा रहे हैंः–

अतः मेन्युअल के Clause 4.3.1 के अनुसार परिषद् के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु निम्नांकित बैंकों में बचत बैंक खाते रखे जाकर अन्य खातों को बन्द किया जाना प्रस्तावित हैं। इसका अनुमोदन निष्पादक समिति की बैठक में लिया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

S.No.	Name of Bank	a/c No.	Name of Branch	Name of Scheme
1	SBBJ Bank	61078136415	Dr.R.K.S. sankul, J.L.N. marg	RMSA
2	Bank of Maharastra	60037717892	G.T.Malviya Nagar	Model School
3	Bank of Baroda	14630100006199	Udyog Bhawan, c-scheme	GIRLS HOSTEL
4	IDBI	0013104000381062	c-scheme, Jaipur	IEDSS
5	Axis Bank	913010044841944	Hawa sarak civil lines	Vocational Education
6	Indusind Bank	100036270252	Tonk road	ICT

प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
5	प्रस्ताव संख्या–5 **समान पी.ए.बी. वर्ष की समान स्कीम की बचत राशि को व्यय किए जाने की स्वीकृति के अनुमोदन हेतुः–**	

क्र. सं.	अनुमोदित	प्रस्तावित संशोधन
1	राज्य स्तरीय बैठक दिनांक 10/01/2014 में जिला अधिकारियों द्वारा बताई गई समस्याओं के आधार पर निर्णय किया गया कि विभिन्न जिलों में आर.एम.एस.ए. (2010–11) के कुछ कार्य अधिक टेण्ड़र प्रीमियम के होने के कारण निर्धारित इकाई लागत में पूर्ण नहीं हो पा रहे है अतः उसी जिले में समान वित्तीय वर्ष की समान स्कीम में यदि कार्यों में बचत राशि उपलब्ध हो तो उस राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष एवं स्कीम के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 3713 दिनांक 20/01/2014 की प्रति संलग्न हैं।	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विभिन्न पी.ए.बी. में स्वीकृत नवीन/सुदृढ़ीकरण के कार्य अधिक टेण्डर प्रीमियम के होने के कारण निर्धारित इकाई लागत में कुछ विद्यालयों में पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। उन कार्यों हेतु समान पी.ए.बी. वर्ष की समान स्कीम में यदि अन्य विद्यालयों के कार्यों में बचत राशि उपलब्ध हो तो उस राशि की स्वीकृति उसी पी.ए.बी. वर्ष एवं समान स्कीम के अधूरे अन्य विद्यालयों के कार्यों को पूर्ण करने हेतु जारी की जा सकती हैं। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विभिन्न पी.ए.बी. में विद्यालय नवीन/सुदृढ़ीकरण के स्वीकृत निर्माण कार्य अधिक टेण्डर प्रीमियम के होने के कारण निर्धारित इकाई लागत में पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उन कार्यों हेतु समान पी.ए.बी. वर्ष की समान स्कीम में यदि अन्य निर्माण कार्यों में बचत राशि उपलब्ध हो तो उस राशि की स्वीकृति उसी पी.ए.बी. वर्ष एवं समान स्कीम के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु जारी की जा सकती हैं। **संलग्न (परिशिष्ट–4)**

प्रस्ताव निष्पादक समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

---

6 प्रस्ताव संख्या–6

श्री के.के. शर्मा, विशिष्ठ सहायक, राज्य मंत्री प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के माह दिसम्बर 2014 से अप्रैल 2015 के वाहन व्यय बिल भुगतान बाबत्।

श्री के.के. शर्मा, विशिष्ठ सहायक राज्य मंत्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ने माह दिसम्बर 2014 से अप्रैल 2015 तक वाहन का उपयोग किया जिसका कुल व्यय बिल लगभग 1,18,877/– रू. हैं। इस बाबत् उपयोग किये गये वाहन अनुबन्धित फर्म से नहीं लिए गये थे, ना ही पूर्व में कोई कार्यालय आदेश जारी हुआ था।

अतः उक्त प्रकरण में–

1. माननीय शिक्षा राज्य मंत्री के विशिष्ट सहायक द्वारा उपयोग में लिए गये वाहन के व्यय बिल की कार्योत्तर भुगतान स्वीकृति।
2. भविष्य में माननीय शिक्षा राज्यमंत्री के विशिष्ट सहायक द्वारा वाहन किराये पर लेने पर भुगतान की स्वीकृति।

इस मद में वार्षिक व्यय रू. 300000 प्रतिवर्ष संभावित हैं।

प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
7	प्रस्ताव संख्या–7 **अनुबन्धित फर्म द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अन्य एजेंसी से वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति हेतुः–** परिषद के वाहन उपयोग हेतु अधिकृत अधिकारियों के लिए अनुबन्धित फर्म द्वारा कई बार समय पर वाहन उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं। वाहन उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित दर पर अन्य एजेंसी से वाहन किराये पर लेने की नियमित स्वीकृति के लिए अनुमोदनार्थ। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
8	प्रस्ताव संख्या–8 ICT-IV Phase में वर्ष 2015–16 के लिए राज्य के 525 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित करने के लिए निविदा प्रपत्र जारी करने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईसीटी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की क्रियान्विति की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि इन कम्प्यूटर लैब की 5 साल तक सेवा प्रदाता फर्म की जिम्मेदारी होने से विद्यालय का प्रधानाध्यापक अपनी Ownership नहीं ले रहा हैं। तथा कम्प्यूटर लैब चोरी की संभावना बढ़ रही हैं तथा चोरी होने के पश्चात् कानूनी प्रक्रिया लम्बी होने के कारण पुनः कम्प्यूटर लैब भी स्थापित नहीं हो पाते हैं। अधिकतर कम्प्यूटर्स खराब रहते हैं। जिन्हें फर्म समय पर ठीक नहीं करा पा रहीं हैं। जिससे विद्यार्थियों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। उपरोक्त कारणों से ही अन्य राज्यों केरल, मध्यप्रदेश, व देहली में भी Boot Model के स्थान Outright Purchase के माध्यम से कम्प्यूटर लैब स्थापित की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यालय में सम्बन्धित प्रभारी से वार्ता की गई जिसमें बताया गया कि Outright Purchase के लिये सचिव महोदय से स्वीकृति लेनी होगी। अतः ICT-IV Phase में Boot Model के स्थान पर Outright Purchase के माध्यम से आईसीटी लैब लगाई जावें तथा अन्य सेवाओं यथा अनुदेशक व Recurring मदों के व्यय हेतु पृथक से सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से उपरोक्त कम्प्यूटर लैब में अन्य कार्य कराया जा सकता हैं। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रकरण स्वीकृति हेतु MHRD को प्रेषित किया जावें।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
9	**प्रस्ताव संख्या–9** मॉडल स्कूलों में सफाई हेतु सहायक सेवा के मानदेय 2000 रू./– प्रतिमाह करने के अनुमोदन बाबत्। स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सफाई व्यवस्था के लिए अंशकालीन सहायक सेवा हेतु अधिकतम 2000 रू. प्रतिमाह का भुगतान स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित हैं। जो मॉडल स्कूल की SDMC की अनुशंषा पर किया जा सकेगा। इस पर प्रतिवर्ष 1704000 (71x12x2000) सतरह लाख चार हजार रू. की राशि व्यय होगी। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
10	**प्रस्ताव संख्या–10** चयनित वर्तमान तथा नवीन विद्यालयों को पीपीपी मोड पर संचालन हेतु Draft Policy for Public Private Partnership (PPP) in School Education 2015 का अनुमोदन हेतु। चयनित वर्तमान तथा नवीन विद्यालयों को पीपीपी मोड पर संचालन हेतु पूर्व में प्रकाशित प्रारूप पर प्राप्त सुझावो पर विचार–विमर्श पश्चात् यथापेक्षित समावेशन सहित संशोधित अन्तिम प्रारूप "Policy for Public Private Partnership (PPP) in School Education 2015" के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	सर्वप्रथम पीपीपी की ड्राफ्ट पॉलिसी को सी.एम.ए.सी के निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित टास्क फोर्स में प्राप्त सुझावों के साथ चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। तदोपरान्त निष्पादक समिति में पुनः रखें।
11	**प्रस्ताव संख्या–11** **परिषद् में संचालित वाहनों हेतु दो वाहन चालक (ड्राईवर) REXCO एजेन्सी से लिये जाने हेतुः–** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में आयुक्त महोदय हेतु नया वाहन प्रक्रियानुसार क्रय कर लिय गया हैं। एक वाहन पूर्व से संचालित हैं। अतः वाहनों हेतु दो ड्राईवरों की आवश्यकता हैं। इसलिये REXCO से वाहन चालक लिये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	विभागीय वाहन चालक अनुपलब्ध होने पर ही वाहन चालक REXCO से लेने का निर्णय लिया गया।

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
12	प्रस्ताव संख्या–12 **परिषद राज्य कार्यालय में 3 अतिरिक्त सहायक सेवाओं की स्वीकृति एवं उनका भुगतान MMER मद से किये जाने हेतुः–** परिषद् के राज्य कार्यालय के पृथक–पृथक भवनों (शिक्षा संकुल ब्लॉक–6, प्रशासनिक भवन, बैंक के पास स्थित कक्ष तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल–प्रथम तल) में संचालित होने तथा शाला दर्पण व आईसीटी योजनाओं के पृथक संचालन एवं स्टूडियों की स्थापना के कारण 3 अतिरिक्त सहायक सेवाओं की आवश्यकता होने पर परिषद् आदेश क्रमांकः– रामाशिप/जय/2015–16/11833, दिनांक 19.05.2015 के तहत् राज्य कार्यालय में 12.05.2015 से सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से 3 अतिरिक्त सहायक सेवा प्रत्येक 5000 रूपये मासिक तथा 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त मासिक शुल्क के अतिरिक्त सेवा प्रभार एवं सेवा कर, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सकल मूल्य पर परिषद् द्वारा पृथक से देय होगा। भुगतान MMER मद से भुगतान किया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13	प्रस्ताव संख्या–13 राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्माण पर एजेन्सी चार्जेज माफ करने बाबत। क्र. स. / निष्पादक समिति की चौहदवी बैठक दिनांक 12.03.2015 में अनुमोदित / प्रस्तावित संशोधन 1 / <u>प्रस्ताव सं – 6 भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से करवाये जाने वाले पुस्तकालय आदि निर्माण कार्यो के लिए 5 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) लिये जाने हेतुः–</u> भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से करवाये जाने वाले पुस्तकालय आदि निर्माण कार्यो के लिए 5 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) लिया जाना प्रस्तावित है। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के विद्यालयों में निर्माण कार्य राजस्थान प्राथमिक शिक्षा पषिद् के माध्यम से भी करवाये जा रहे है। उनके द्वारा इनके लिए 5 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) वसूल किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से विद्यालयों में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के करवाये जाने वाले पुस्तकालय आदि निर्माण कार्यो के लिए 5 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) लिया जाना प्रस्तावित है। / भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा न्यूनतम लागत पर जन सामान्य के सभी वर्गो एवं आयु के लोगों को पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुविधाऐ उपलब्ध कराने के उद्देश्यो से पुस्तकालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। भाषा एंव पुस्तकालय विभाग द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से करवाये जाने वाले पुस्तकालय इत्यादि निर्माण कार्यो के लिए एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) वसूल नहीं किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

14	प्रस्ताव संख्या–14 **व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में अनुमोदित Automobile Sector हेतु सर्विस प्रोवाईडर द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों की प्रशैक्षणिक योग्यता (पात्रता) में आंशिक परिवर्तन के क्रम में:–** व्यावसायिक शिक्षा योजना क्रियान्वयन हेतु दिनांक 21 नवम्बर 2014 को जारी की गई EOI तथा दिनांक 18 दिसम्बर 2014 को चयनित सर्विस प्रोवाईडर्स के साथ किये गये अनुबंध के बिन्दू संख्या 06 के उप बिन्दू संख्या 04 के अनुसार आवश्यकता पडने पर अनुबंध की गई दोनो संस्थाओं की आपसी सहमति से अनुबंध में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता हैं। अतः संशोधित प्रस्ताव निम्नानुसार है:– **संशोधन उपरान्त पात्रता** • B.Tech.in Automobile/ Mechanical Engineering OR • 3 year Diploma in Automobile/ **Mechanical** Engineering from State Board of Technical Education Minimum 2 years of relevant experience in the field of Automobile workshops/Authorized dealers/Teaching in relevant field प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
15	प्रस्ताव संख्या–15 (पूरक प्रस्ताव) RMSA Web Portal "http://rajrmsa.nic.in" को सुदृढ करने के सम्बन्ध में NIC के प्रस्ताव को अनुमोदित करने बाबत्। उपरोक्त विषय में लेख है कि RMSA Web Portal "http://rajrmsa.nic.in" को और अधिक सुदृढ किऐ जाने हेतु पोर्टल पर पूर्व में किए जा रहे कार्यो तथा वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में NIC द्वारा दिये गये प्रस्ताव की अनुमानित लागत 29 लाख रूपये खर्च होना बताया गया है। इसका भुगतान MMER मद से कराये जाने की स्वीकृति आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से ली गई हैं तदनुसार इसका कार्यादेश NIC को दे दिया गया है। उपरोक्त व्यय का एकीकृत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की MMER से भुगतान कराये जाने की स्वीकृति निष्पादक समिति की Meeting में अनुमोदन कराने हेतु प्रेषित हैं।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

14/7/15

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः रा.मा.शि.प / जय / EC-15 / 2015–16 / दिनांकः / / 2015

निष्पादक समिति की 15वीं बैठक दिनांक 07.07.2015

शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का उपस्थिति पत्रक

क. सं.	अधिकारी का नाम	पद	कार्यालय
1	श्री नरेश पाल गंगवार	शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्	
2	श्री बी.एल.जाटावत	आयुक्त	राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
3	शिवांगी स्वर्णकार	संयुक्त सचिव, वित्त	वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4	श्री जस्साराम चौधरी	अतिरिक्त आयुक्त	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
5	श्री पी.एम. फगेड़िया	उपसचिव	पंचायती राज, राजस्थान सरकार जयपुर
6	दीप्ती कछवाहा	सचिव	राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
7	श्री भवानी सिंह मीणा	नियंत्रक वित्त	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
8	श्री शीश राम चावला	अतिरिक्त निदेशक	साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
9	डॉ॰ रामकुमार दाधीच	संयुक्त निदेशक	संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर
10	श्री दयाराम महरिया	सचिव	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
11	श्री जे.पी. गोदारा	उपनिदेशक	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
12	डॉ॰ कमलिनी द्रविड़	कार्यक्रम निदेशक	महिला सशक्ति करण, राजस्थान सरकार, जयपुर
13	श्री राजेश रंगवानी	अनुसंधान अधिकारी (ई.टी.सेल), अजमेर	एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

निष्पादक समिति की 15वीं बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे–

1	श्रीमती तूलिका सैनी	उपायुक्त	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
2	श्रीमती सावित्री शर्मा	उपायुक्त	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
3	मैना साही	कंसलटेन्ट	बोस्टन कन्सलटेन्सी ग्रुप
4	सीमा बंसल	कंसलटेन्ट	बोस्टन कन्सलटेन्सी ग्रुप
5	श्रीमती ममता दाधीच	राज्य समन्वयक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
6	श्री आशुकुमार गर्ग	अधिशाषी अभियंता	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
7	डॉ॰ रचना शर्मा	उपनिदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
8	डॉ॰ गोविन्द सिंह	उपनिदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
9	श्री मुकेश कुमार जैमन	उपनिदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
10	श्रीमती आशा गुप्ता	उपनिदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
11	श्री कैलाश चन्द गुप्ता	उपनिदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
12	श्री ओ.पी.सोनी	सहायक अभियन्ता	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
13	श्री के.के.अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
14	डॉ॰ बालेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
15	श्रीमती अनुसूया गुप्ता	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
16	डॉ॰ अरूण कुमार श्रीवास्तव	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
17	डॉ॰ विजय लाल बैरवा	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
18	श्रीमती शिखा सोनी	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
19	श्री नादान सिंह	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
20	श्री महेन्द्र कुमार गर्ग	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
21	श्री देवेन्द्र पारीक	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर